भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 506

05 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

506 श्री नीरज डांगी:

श्री सैयद नासिर हुसैन:

श्रीमती अम्बिका सोनी:

श्री कुमार केतकर:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य से यह कहते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य उतना अधिक नहीं है कि उनके राज्यों में उत्पादन लागतों को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम और मांगे गए निवारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वामीनाथन आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गएं हैं;

(घ) क्या सरकार राज्य-विशिष्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य हस्तक्षेप की घोषणा करने का इरादा रखती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ख) सरकार को समय-समय पर कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि विभिन्न राज्यों में सिंचाई, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि का मशीनीकरण, भू-जोतों का आकार, उपज इत्यादि के स्तरों में भिन्नता के कारण विभिन्न

राज्यों में उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) एमएसपी के लिए अपनी सिफारिशें करते समय उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का उपयोग करता है। तथापि, सीएसीपी यह सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक श्रम सहित सभी भुगतान की गई लागतें उसके द्वारा अनुशंसित एमएसपी में शामिल हो। इसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न उत्पादन रणनीति को बढ़ावा देना तथा देश में कृषि उत्पादन की प्रभावशाली स्थिति को प्रोत्साहित करना है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी उत्पादन लागत के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिनमें समग्र मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग और उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ शामिल हैं।

(ग) केन्द्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 से सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी एवं अन्य व्यवसायिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ बढ़ोतरी की है।

(घ) और (ङ) एमएसपी का निर्धारण संपूर्ण देश के लिए किया जाता है न कि क्षेत्र विशेष अथवा राज्य-विशेष के लिए। इसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न उत्पादन रणनीति को बढ़ावा देना तथा देश में कृषि उत्पादन की प्रभावशाली स्थिति को प्रोत्साहित करना है। यद्यपि, कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति तैयार करते समय सीएसीपी द्वारा क्षेत्र विशिष्ट मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है।

****